Notes BY: Dr. Ram Lochan Mishra

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-1

(Indian Contract Act, 1872)

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

हानि रक्षा तथा प्रत्याभूति अनुबन्ध (Contracts of Indemnity and Guarantee):

हानिरक्षा (क्षतिपूर्ति) अनुबन्ध की परिभाषा (Definition of Contract of Indemnity) :

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, "हानि रक्षा अनुबन्ध से आशय एक ऐसे अनुबन्ध से अहि जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार

किसी दूसरे पक्षकार को किसी ऐसा हानि से बचाने का वचन देता जो उसे (दूसरे पक्षकार को) स्वयं वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे |"

(A contract by which one party promises to save the order from loss caused to him by the conduct of the promisor himself, or by then conduct of any other person, is called a Contract of Indemnity.")

उदाहरणार्थ, रजत, भरत से अनुबन्ध करता है की वह भरत को ऐसी हानि से बचायेगा जो अमित द्वारा भरत पर मुकदमा करने के कारण होगी | यह अनुबन्ध हानि रक्षा की अनुबन्ध है | जो व्यक्ति हानि से बचने के लिये वचन देता है की, वह हानि रक्षक (Indemnifier) और जिस व्यक्ति को हानि की रक्षा का वचन दिया जाता है, 'हानि रक्षाधारी' (Indemnity holder) कहलाता है |

उपयुक्त परिभाषा के अनुसार केवल वे ही अनुबन्ध क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जायेंगे जिनमें किसी ऐसी हानि की पूर्ति किये जाने का वचन हो जो हानिरक्षक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण के कारण उत्पन्न होती है | वह अनुबन्ध जी किसी दुर्घटना के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिये किया जाता है (जैसे अग्नि बीमा अनुबन्ध) क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध नहीं कहलायेगा | लेकिन यह बात सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि बीमा अनुबन्ध (जीवन बीमा को छोड़कर) मूलतः क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध कहे जाते है |

अतएव, भारतीय न्यायालय एक परिभाषा को पूर्ण न मानते हुये इस सम्बन्ध में अंग्रेजी कानून का सहारा लेता है | जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति अनुबन्ध एक ऐसा अनुबन्ध है जिसके अंतर्गत, "किसी अनिर्दोष(innocent)व्यक्ति को एक ऐसे लेन-देन के कारण हुई हानि से बचाने का वचन दिया जाता है ओ वचनदाता के

अनुरोध पर कार्य किया हो |" क्षतिपूर्ति अनुबन्ध की यह एक व्यापक परिभाषा है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा हुई हानि ही नहीं वरन् किसी घटना के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति के वचन को भी क्षतिपूर्ति अनुबन्ध माना जाता है | हानि रक्षा का अनुबन्ध स्पष्ट अथवा गर्भित दोनों प्रकार का हो सकता है | इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य अनुबन्धो की भाँति हानि रक्षा अनुबन्ध में भी एक वैध अनुबन्ध के सभी लक्षणों का होना आवश्यक है |

गारण्टी अथवा प्रत्याभूति का अनुबन्ध (Contract of Guarantee)

भारतीय अनुबन्ध की अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, "प्रत्याभूति अनुबन्ध से तात्पर्य एक ऐसे अनुबन्ध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके (तीसरे व्यक्ति के) वाचन का निष्पादन करने या उतरदायित्व को पुरा करने का वचन देता ही |" (A Contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability. Of a third party in case of his default.")

इस प्रकार के अनुबन्ध में जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे प्रतिभू (Surety), जिसके सम्बन्ध में गारण्टी दी जाती है उसे मूल ऋणी (Principal Debtor) एवं जिसकी गारण्टी दी जाती है उसे ऋणदाता (Creditor) कहते है | अतः एक प्रत्याभूति के अनुबन्ध तीन पक्षकार के होते है - प्रतिभू, ऋणदाता एवं मूल ऋणी | प्रत्याभूति अनुबन्ध के अंतर्गत दी जाने वाली गारण्टी लिखित अथवा मौखिक रूप से हो सकती है, परन्तु अंग्रेजी राजनियम के अंतर्गत यह सदैव लिखित रूप में होनी चाहिये | ऐसी प्रतिभूति (गारण्टी) किसी पक्षकार के अच्छे आचरण के सम्बंध में, किसी ऋण के सम्बन्ध में अथवा किसी पक्षकार द्वारा उधार माल खरीदने की दशा में दी जाती है |

उदाहरणार्थ, अतुल, विपुल से कहता है की वह राहुल को एक माह के लिये 1,000 रुपये उधार दे दे और यह वचन देता है की अगर राहुल समय पर ऋण का भुगतान नहीं करेगा तो स्वयं उसका भुगतान कर देगा | अतुल तथा विपुल समय पर ऋण का भुगतान कर देगा | अतुल तथा विपुल के बीच यह गारण्टी का अनुबन्ध है | इसमें अतुल गारण्टीकर्ता (प्रतिभू) है, राहुल मूल ऋणी तथा विपुल ऋणदाता है |

हानिरक्षा (क्षतिपूर्ति) तथा प्रत्याभूति अनुबन्ध में अन्तर (Difference Between Contract of Indemnity and Guarantee)

अन्तर का आधार क्षतिपूर्ति अनुबन्ध प्रत्याभूति अनुबन्ध

1. पक्षकारो की संख्या : क्षतिपूर्ति अनुबन्ध में केवल दो पक्षकार होते है -

(i) हानिरक्षक तथा

(ii) हानि रक्षाधारी |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध में केवल तीन पक्षकार होते है -

- **(i) मूल ऋणी,**
- **(ii) ऋणदाता**

(iii) प्रतिभू |

2. अनुबन्धो की संख्या: इसमें हानिरक्षक तथा हानि रक्षाधारी के बीच केवल एक ही अनुबन्ध होता है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध में तीन अनुबन्ध होते है -

(i) मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच,

(ii) ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच तथा

(iv) प्रतिभू एवं मूल ऋणी के बीच |

3. उद्देश्य : इसका उद्देश्य हानि रक्षा धारी को भावी अथवा किसी अनिश्चित घटना से होने वाली हानि से बचाना होता है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध का उद्देश्य मूल ऋणी के वाचन के निष्पादन (पूरा करने) की जमानत देना होता है |

4. उतरदयित्व: हानि रक्षक का उतरदायित्व प्राथमिक एवं स्वतन्त्र होता है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रतिभू का दायित्व गौण होता है जो मूल ऋणी द्वारा अपने दायित्व को पूरा न करने की स्थिति में ही उत्पन्न होता है |

5. क्षेत्र : क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध में प्रत्याभूति अनुबन्ध को सम्मिलित नहीं किया जा सकता |

जबकि प्रत्याभूति के अनुबन्ध में क्षतिपूर्ति अनुबन्ध सम्मिलित हो सकता है |

6. अनुबन्ध करने की क्षमता : इसमें दोनों पक्षकारों में अनुबन्ध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध में मूल ऋणी में अनुबन्ध करने की क्षमता का होना अनिवार्य नहीं है |

7. प्रतिफल या व्यक्तिगत हित इसमें हानि रक्षक का प्रायः कोई व्यक्तिगत हित (जैसे प्रिमियम मिलना) होता है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध में प्रतिभू अपने वचन के बदले स्वयं कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं करता |

8. वाद प्रस्तुत करना : हानि रक्षक, तृतीय पक्षकार के विरुद्ध जिन्होंने हानि पहुँचाई हो, अपने स्वयं के नाम से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता | वह केवल हानि रक्षा कर सकता | वह केवल हानि की रक्षक धारी के नाम से ही वाद प्रस्तुत कर सकता है |

जबकि प्रत्याभूति अनुबन्ध मूल ऋणी की त्रुटि की दशा में प्रतिभू द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने के पश्चात् प्रतिभू अपने स्वयं के नाम मूल ऋणी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत सकता है |